न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

) – 03/2020

जीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 28 बी बी तहसील दमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अमनिन्द्र सिंह श्री बलदेव सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 28 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–वादीगण –

बनाम

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 28 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. कमलजीत कौर पुत्र बलदेव सिंह पत्नि लखविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 39 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. मनदीप कौर पुत्र बलदेव सिंह पत्नि गुरमीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 1 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

– प्रतिवादीगण–

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

–निर्णय–

दिनांक : 28/1/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिंह वादीगण का पिता है व प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादीगण की बहने हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है, प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिंह के नाम से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 तहसील पदमपुर के चक 28 बी बी के खाता सं0 50/57 के मुरबा नं0 27 में 3.100 है0 नहरी में से 1.033 है0 नहरी भूमि व इसी चक के खाता सं0 51/55 के मुरबा नं0 22 में 2.975 है0 भूमि में से 0.491 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 52/54 के मुरबा नं0 14 में 3.162 है0 व मुरबा नं0 21 में 6.325 है0 व मुरबा नं0 25 में 0.962 है0 इस प्रकार इस खाता सं0 की कुल 10.449 है0 में से 1.661 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 54/52 के मुरबा नं0 6 मुं 0.63 है0 व मुरबा नं0 14 में 0.760 है0 व मुरबा नं0 44 में 1.493 है0 कुल 2.316 है0 में से 1.158 है0 नहरी इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के नाम कुल 4.343 है0 नहरी भूमि मय खाला रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिंह के पुत्र है, हम वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त भूमि तहसील पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

के चक 28 बी बी के खाता सं0 खाता सं0 50/57 के मुरबा नं0 27 में 3.100 है0 नहरी में से 1.033 है0 नहरी भूमि व इसी चक के खाता सं0 51/55 के मुरबा नं0 22 में 2.975 है0 भूमि में से 0.491 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 52/54 के मुरबा नं0 14 में 3.162 है0 व मुरबा नं0 21 में 6.325 है0 व मुरबा नं0 25 में 0.962 है0 इस प्रकार इस खाता सं0 की कुल 10.449 है0 में से 1.661 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 54/52 के मुरबा नं0 6 मुें 0.63 है0 व मुरबा नं0 14 में 0.760 है0 व मुरबा नं0 44 में 1.493 है0 कुल 2.316 है0 में से 1.158 है0 नहरी इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के नाम कुल 4.343 है0 नहरी भूमि मय खाला रास्ता बंटवारानामा अनुसार हम वादीगण ब0हि0ब0 अर्थात 2.1715–2.1715 है0 दे दी है, वादीगण इसी अनुसार अपनी–अपनी भूमि काश्त कर रहे है। जो अपनी भूमि का खातेदार मालिक घोषित होने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं। प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादीया सं0 2 व 3 को उनका हक व हिस्सा दे दिया है व हम वादीगण को भी प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम उपरोक्त भूमि घरू बंटवारानामा अनुसार काश्त हेतु दे रखी है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 उक्त भूमि हम वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं करवाई है। उक्त संयुक्त खाता की भूमि में वादीगण के पास अपनी–अपनी भूमि कब्जा काश्त में है, वादीगण ने उक्त भूमि को खाद–पानी डालकर उपजाउ बनाया है, वादीगण अपनी उक्त भूमि वर्षो से काश्त करते रहे है, वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को उक्त अपने कब्जा काश्त अनुसार मालिक घोषित करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने इन्कार कर दिया जो यही वाद कारण हैं। दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण का निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें।

(क) तहसील पदमपुर के चक 28 बी बी के खाता सं0 खाता सं0 50/57 के मुरबा नं0 27 में 3.100 है0 नहरी में से 1.033 है0 नहरी भूमि व इसी चक के खाता सं0 51/55 के मुरबा नं0 22 में 2.975 है0 भूमि में से 0.491 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 52/54 के मुरबा नं0 14 में 3.162 है0 व मुरबा नं0 21 में 6.325 है0 व मुरबा नं0 25 में 0.962 है0 इस प्रकार इस खाता सं0 की कुल 10.449 है0 में से 1.661 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 54/52 के मुरबा नं0 6 मुें 0.63 है0 व मुरबा नं0 14 में 0.760 है0 व मुरबा नं0 44 में 1.493 है0 कुल 2.316 है0 में से 1.158 है0 नहरी इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के नाम कुल 4.343 है0 नहरी भूमि मय खाला रास्ता बंटवारानामा अनुसार हम वादीगण

(...ाष कुमार)
...खण्ड अधिकारी
...दमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

है0ब0 दे दी है, उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार हम वादीगण को उक्त भूमि 343 है0 में से ब0ही0ब0 यानि 2.1715–2.1715 है0 भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावें व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से श्री भारत कुमार जोशी अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाबदावा सहमती का प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम मिकरान के पिता द्वारा उक्त मुश्तर्का भूमि में से ब0ही0ब0 यानि 2.1715–2.1715 है0 भूमि मिकरान के भाई दलजीत सिंह व अमनिन्द्र सिह को बंटवारानामा अनुसार दे रखी है और मिकरान के भाई अपनी उक्त भूमि के कब्जा काश्त में हैं और मिकरान के भाई दलजीत सिंह व अमनिन्द्र सिंह द्वारा बंटवारानामा अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने हेतु दावा अनवानी दलजीत सिह आदि बनाम बलदेव सिह आदि उपखण्ड अधिकारी राजस्व, पदमपुर में पेश कर रखा है यदि हम मिकरान के भाई दलजीत सिंह व अमनिन्द्र सिंह को न्यायालय द्वारा बंटवारानामा अनुसार खातेदार मालिक व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है तो हम मिकरान को कोई उज्र व एजराज नहीं है। जिससे हम मिकरान पूर्ण रूप से सहमत हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अनवान दावा में वादीगण व प्रतिवादीया का पंचायत द्वारा राजीनामा करवा दिया गया है, प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिह के नाम तहसील पदमपुर के चक 28 बी बी के खाता सं0 खाता सं0 50/57 के मुरबा नं0 27 में 3.100 है0 नहरी में से 1.033 है0 नहरी भूमि व इसी चक के खाता सं0 51/55 के मुरबा नं0 22 में 2.975 है0 भूमि में से 0.491 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 52/54 के मुरबा नं0 14 में 3.162 है0 व मुरबा नं0 21 में 6.325 है0 व मुरबा नं0 25 में 0.962 है0 इस प्रकार इस खाता सं0 की कुल 10.449 है0 में से 1.661 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 54/52 के मुरबा नं0 6 मुें 0.63 है0 व मुरबा नं0 14 में 0.760 है0 व मुरबा नं0 44 में 1.493 है0 कुल 2.316 है0 में से 1.158 है0 नहरी इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के नाम कुल 4.343 है0 नहरी भूमि मय खाला रास्ता भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजस्व रिकार्ड में

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

चक 28 बी बी के खाता सं0 खाता सं0 50/57 के मुरबा नं0 27 में 3.100 है0 नहरी में से 1.033 है0 नहरी भूमि व इसी चक के खाता सं0 51/55 के मुरबा नं0 22 में 2.975 है0 भूमि में से 0.491 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 52/54 के मुरबा नं0 14 में 3.162 है0 व मुरबा नं0 21 में 6.325 है0 व मुरबा नं0 25 में 0.962 है0 इस प्रकार इस खाता सं0 की कुल 10.449 है0 में से 1.661 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 54/52 के मुरबा नं0 6 मुं 0.63 है0 व मुरबा नं0 14 में 0.760 है0 व मुरबा नं0 44 में 1.493 है0 कुल 2.316 है0 में से 1.158 है0 नहरी इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के नाम कुल 4.343 है0 नहरी भूमि मय खाला रास्ता बंटवारानामा अनुसार वादीगण को ब0हि0ब0 दे दी है, उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण को उक्त भूमि 4.343 है0 में से ब0हि0ब0 यानि 2.1715–2.1715 है0 भूमि वादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार दे दी है व हम प्रतिवादीया सं0 2 व 3 कमलजीत कौर व मनदीप कौर अपने हिस्से की भूमि अपने दान–दहेज में प्राप्त कर ली है और उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण को उक्त भूमि में से ब0हि0ब0 यानि 2.1715–2.1715 है0 भूमि खातेदार मालिक घोषित किया जावें व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जावें व वाद पत्र राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जावें तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है, प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 पूर्ण रूप से सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील पदमपुर के चक 28 बी बी के खाता सं0 खाता सं0 50/57 के मुरबा नं0 27 में 3.100 है0 नहरी में से 1.033 है0 नहरी भूमि व इसी चक के खाता सं0 51/55 के मुरबा नं0 22 में 2.975 है0 भूमि में से 0.491 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 52/54 के मुरबा नं0 14 में 3.162 है0 व मुरबा नं0 21 में 6.325 है0 व मुरबा नं0 25 में 0.962 है0 इस प्रकार इस खाता सं0 की कुल 10.449 है0 में से 1.661 है0 नहरी भूमि व खाता सं0 54/52 के मुरबा नं0 6 मुं 0.63 है0 व मुरबा नं0 14 में 0.760 है0 व मुरबा नं0 44 में 1.493 है0 कुल 2.316 है0 में से 1.158 है0 नहरी इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति कम्बोज सिंह के नाम कुल

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

4.343 है0 नहरी भूमि मय खाला रास्ता में से वादी सं0 1 दलजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति कम्बोज सिख व वादी सं0 2 अमनिन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति कम्बोज सिख ब0हि0ब0 यानि 2.1715–2.1715 है0 भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/1/20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.05 15:36:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: